राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 12/2013/श्रीगंगानगर
2.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 23/2014/श्रीगंगानगर
3.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 24/2014/श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता
गंगनहर, दक्षिण खण्ड,श्रीगंगानगर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन,श्रीगंगानगर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री सुरेश ओझा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.एल.पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 21.02.2014

निर्णय

ये तीनों विविध प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2056 से 2058/2010/श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 31.01.2013 में एस टी–17 घोषणा पत्रों को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय प्राप्ति के पश्चात एक माह का समय दिया गया था, जिसमें अवधि बढाने हेतु ये तीनों विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। चूँकि तीनों विविध प्रार्थना पत्रों एक ही बिन्दु विवादित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। इस निर्णय की प्रतियॉ पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जायें।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2056 से 2058/2010/श्रीगंगानगर का निस्तारण दिनांक 31.01.2013 को करते हुए मूल एस टी–17 घोषणा पत्रों को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु (निर्णय प्राप्ति के पश्चात) एक माह का समय दिया गया था। उनका कथन है कि यह प्रकरण लगभग 10 वर्ष पुराना होने के कारण निर्णयानुसार एक माह में उक्त रिकार्ड कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तत किया जाना सम्भव नही है, अतः उन्होंने निवेदन किया कि एक माह के स्थान पर तीन का समय दिये जाने का कथन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपील संख्या 2056 से 2058/2010/श्रीगंगानगर का निस्तारण दिनांक 31.01.2013 को किया गया था,जिसको लगभग एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है, इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने हेत समयावधि बढाने का निवेदन व्यवहारिक नहीं है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2056 से 2058/2010/श्रीगंगानगर का निस्तारण दिनांक 31.01.2013 को करते हुए निम्न निर्देश दिये गये थे :–

"दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने घोषणा पत्र एस टी 17 की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत नही करने के कारण तथा समयावधि पार घोषणा पत्र एस टी–17 प्रस्तुत करने के कारण कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी ने भी की है। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को उचित कारण होने के बावजूद मूल घोषण पत्र एस टी–17 जुटाने से रोका गया है। प्रकरणों के समग्र तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ न्याय हित उचित समझती है कि अपीलार्थी व्यवहारी को मूल घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान किया जाये। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.7.2010 को अपास्त कर अपीलें स्वीकार करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देश देती है कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के पश्चात एक माह के भीतर घोषणा पत्रों की मूल प्रतियॉ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। कर निर्धारण अधिकारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्रों की जांच करने के पश्चात न्याय संगत कर निर्धारण आदेश पुनः पारित करें।"

उक्त निर्देश दिये हुए लगभग एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है, इस अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र संवेदकों/ठेकेदारों से प्राप्त नहीं कर सका। प्रकरण के तथ्यों विचार करने के पश्चात न्याय हित में घोषणा पत्रों को प्रस्तुत हेतु एक और अन्तिम अवसर प्रदान किया जाना समीचीन होगा। अतः विविध प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए निर्देश दिये जाते है कि इस निर्णय की प्राप्ति के पश्चात एक माह के भीतर घोषणा पत्रों की मूल प्रतियॉ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

विविध प्रार्थना पत्रों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य